वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष -2020

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

विषय–सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	4–7
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	3–10
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	11–11
5.	वर्ष 2020 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	12–19
	परिशिष्ट–1 एवं 2	:	20–22

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 मिशन स्टेटमेंट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 'दी इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन्स एक्ट, 1998 (सन् 1998 का अधिनियम क्रमांक 14)' के अधीन किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने के पश्चात्, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन उक्त अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया। आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं में सौंपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशानिर्देश एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करता है। आयोग के मुख्य उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना सम्मिलित है कि राज्य में पॉवर सेक्टर का विकास वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ–साथ जन–साधारण तक बिजली की पहुंच किफायती दर पर हो सके। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार के ऐसे कार्यक्रम लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है, जिससे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को वाजिब दरों पर आपूर्ति एवं आवश्यक उपभोक्ता सेवायें प्राप्त हो सके। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में आयोग पूर्णतः सजग है और सर्व संबंधितों के हित संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है और इस हेतु राज्य में ऐसे परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश के ताप–विद्युत, जल–विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन सुनिश्चित हो सके। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 में उपबंधित किया गया है कि राज्य आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतितिधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में, आयोग द्वारा तैयार कर, राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रमाणित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाता हैं। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2020 के कार्यों का संक्षिप्त विवरण, समाहित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2020 में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2020) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002 दिनाँक 23/08/2002 सहपठित, अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के तहत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में 01 जुलाई 2004 से कार्यरत् है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14697, 13451 सन् 2015 स्टेट ऑफ गुजरात एण्ड अदर्स वर्सेस यूटिलिटि यूजर्स वेलफेयर एसोसियेशन एवं अन्य में प्रतिपादित व्यवस्था के अन्तर्गत जारी निर्देश में विद्युत नियामक आयोग में सदस्य ज्युडिशियल की नियुक्ति को बन्धकारी एवं अनिवार्य किया गया। तदानुसार राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1825/एफ 1–2/2018/13/1/ऊ.वि. दिनांक 30/06/2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान में आयोग में कार्यरत् अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है:–

क्र.	नाम	पद नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री डी.एस. मिश्र	अध्यक्ष	एफ–1–7/2007/13/1 दिनांक 18/09/2018
2.	श्री अरूण कुमार शर्मा	सदस्य	1239/एफ 1–7/2007/13/1 दिनांक 22/10/2016
3.	श्री विनोद देशमुख	सदस्य (न्यायिक)	एफ–1–7/2007/13/1 दिनांक 18/09/2018

वर्तमान अध्यक्ष श्री डी.एस. मिश्र एवं सदस्य श्री अरूण कुमार शर्मा, तथा सदस्य ज्युडिशियल श्री विनोद देशमुख का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:–

श्री डी.एस. मिश्र, अध्यक्ष

श्री डी.एस. मिश्र ने 18 सितंबर 2018 को आयोग में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्री मिश्र ने बी.ए. (आनर्स गोल्ड मेडलिस्ट) की उपाधि प्राप्त की। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1982 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारी, श्री डी.एस. मिश्र को मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण कार्यभार प्रदान किये गए। अपने 36 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में आपने मध्यप्रदेश के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री अरूण कुमार शर्मा, सदस्य

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी श्री अरूण कुमार शर्मा ने शासकीय अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, रायपुर (वर्तमान में एन.आई.टी., रायपुर) से वर्ष 1977 में मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भारत के

सर्वोत्तम ऊर्जा संस्थान एन.टी.पी.सी. लिमिटेड में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया एवं पदोन्नति प्राप्त करते हुए कार्यकारी निदेशक के पद पर पहुंचे। इस अवधि में उन्हें ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत होने का अवसर मिला।

एन.टी.पी.सी. में अभियंता से लेकर कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए उन्होंने प्रारंभ के लगभग 9 वर्ष बदरपुर थर्मल पॉवर संयंत्र में प्रचालन एवं अनुरक्षण विभाग में कार्य किया। तत्पश्चात् उन्हें 23 वर्ष नैगम आयोजना (Corporate Planning) अनुभाग में कार्यरत रहते हुए शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलकर निगम के प्रबंधन में रणनीतिक स्तर (Strategic level) पर कार्य करने का बहुमूल्य अवसर एवं अनुभव प्राप्त हुआ। इस कार्यावधि में विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे कि संसदीय समितियां, संबद्ध मंत्रालय, प्रशासनिक संस्थानों (सीईए, योजना आयोग इत्यादि) एवं वित्तीय संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमैंट बैंक आदि के साथ समन्वय में कार्य करने का अनुभव भी उन्हें प्राप्त हुआ।

श्री अरूण शर्मा सेवा के अंतिम 6 वर्षों में वे एन.टी.पी.सी. की परामर्श सेवाओं के प्रभारी के रूप में विभिन्न ऊर्जा संस्थानों में प्रचालन, अनुरक्षण, इन्जीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में सेवाएं दे कर उनके प्रबंधन एवं दक्षता में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत रहे। अपने 38 वर्षो के कार्य काल को पूरा कर वे जून 2016 में एन.टी.पी.सी. से कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुये। दिनांक 29 अक्टूबर 2016 से श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के पद पर पदस्थ है।

श्री विनोद देशमुख, सदस्य (न्यायिक)

श्री विनोद देशमुख, का जन्म 07 मार्च 1961 को रायपुर शहर में हुआ है और उन्होने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा रायपुर में प्राप्त की हैं। उन्होने बी.कॉम., एल.एल.बी. की डिग्री पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त करने के उपरान्त वर्ष 1987 से अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए रायपुर जिला अदालत एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी वकालत की है। इस दौरान उनके द्वारा कई संस्थानों की पैरवी भी की गई। श्री देशमुख दिनांक 18 सितम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पद पर पदस्थ हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के कार्यालय को भवन ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर डिज़ाईन किया गया है। ऊर्जा दक्षता का अनुसारण करते हुए 80 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट सहित निर्मित आयोग के मुख्यालय भवन को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया जा चुका है।

————00000————

खण्ड–2
मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। स्वीकृत पद संरचना परिशिष्ठ क्रमांक 1 में उल्लेखित है।

2.2 आयोग में वर्ष 2020 में सेवारत् अधिकारी :–

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2020 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनाँक
1.	श्री एम.एस. रत्नम	सचिव	21.08.2020
2.	श्री एस.पी. शुक्ला	निदेशक (इंजीनियरिंग)	21.10.2004
3.	श्री विवेक गनोदवाले	वरिष्ठ विधि अधिकारी	10.12.2004
4.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
6.	श्री कमलेश दिल्लीवार	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
7.	श्रीमती आशा व्ही. देव	उप–सचिव	23.06.2014
8.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	01.04.2017
9.	श्री पी. वेणु गोपाल	लेखाअधिकारी	02.09.2010

आयोग के अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैंः–

(1) **श्री एम.एस. रत्नम्, सचिवः–** शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर (वर्तमान में एन.आई.टी., रायपुर) से वर्ष 1979 में बी.ई. सिविल की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत श्री रत्नम् को पॉवर सेक्टर के विभिन्न क्षेत्र में 39 वर्षों का कार्यानुभव हैं। उन्हे वृहद विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के प्लानिंग एवं डिज़ाईनिंग के कार्यों के अनुभव के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विद्युत सुधार के कार्यक्रमों के संचालन एवं मॉनिटरिंग का भी अनुभव है।

(2) **श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग)**:– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर (वर्तमान में एन.आई.टी., रायपुर) से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों के कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात क्रमशः दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) एवं दिनांक 01/10/2014 को निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए। आयोग में आपने दिनांक 05/09/2018 से 21/08/2020 तक सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन किया।

(3) **श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी**:– बी. कॉम, एल.एल.बी., की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् आप मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित अधिवक्ताओं के पैनल व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पैनल में भी रह चुके हैं। आप वर्ष 1997 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन हेतु विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किये गये। छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2004 में आपको इसी विशेष न्यायालय हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। आयोग में पद भार ग्रहण करने के पूर्व तक आप विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत् रहे। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 27/06/2013 को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए।

(4) **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषकः–** आपने बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्लू.ए. की उपाधि प्राप्त की है। आपको लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा–संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव था। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06/10/2009 से कार्यरत् हैं।

(5) **श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (टैरिफ):–** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर (वर्तमान में एन.आई.टी., रायपुर) से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् आपने लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

(6) **श्री कमलेश दिल्लीवार, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग):–** 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनों में रहते हुए उन्होंने

विदेशों में भी (मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में भी) अपनी सेवाएं दी। आयोग में पद भार ग्रहण करने के पूर्व दस वर्षों तक उन्होंने विद्युत अधिनियम, 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विभिन्न विद्युत मण्डलों, कंपनियों एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोगों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, आदि में कंसलटेंसी प्रदान की। श्री दिल्लीवार ने BEE (MoP) से ऊर्जा संपरीक्षक का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया है। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

(7) **श्रीमति आशा व्ही. देव, उप सचिवः—** केरल युनिवर्सिटी से बी.टेक (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमती आशा द्वारा वर्ष 1998 में केरल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (केएसईबी.) में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने केरल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट एंड रूल्स, स्टोर एकाउंट्स व टैरिफ एंड रेव्हेन्यु एकाउंटिंग रूल्स, केरला फाईनेंसियल कोड एवं केरला बजट मैनुअल एवं पी.डब्ल्यू. एकाउंट कोड की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण की साथ ही आपको विद्युत उपयोगिता पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2006 में छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता एवं वर्ष 2010 में कार्यपालन अभियंता रहीं। जून 2012 में पुनः केएसईबी. में सहायक कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवाएं दी। वर्तमान में आप दिनांक 23/06/2014 से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत् हैं।

(8) **श्री सिद्धार्थ पाण्डे, सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग):—** सन् 2007 में रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, भिलाई से बी.ई. (मेकेनिकल) की उपाधि तथा वर्ष 2009 में दिशा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर से एम.बी.ए. (मार्केटिंग एण्ड फॉयनेंस) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उरला, रायपुर में एक्जीक्यूटीव इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल के पद पर सितम्बर—2013 तक अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात् अक्टूबर—2013 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. कोरबा (पश्चिम) में सहायक अभियंता के पद पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की। श्री पाण्डेय वर्तमान में दिनांक 01/04/2017 से आयोग में सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(9) **श्री पी. वेणु गोपाल, लेखाअधिकारीः—** आपने एम.कॉम., एल.एल.बी., आई.सी.डब्लू.ए. आई. (इंटर) की उपाधि प्राप्त की है। आपको विभिन्न संस्थानों में लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा—संपरीक्षण, वित्त प्रबंधन, करारोपण, का कार्यानुभव है। दिनांक 02/09/2010 से आयोग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए दिनांक 02/11/2016 को लेखाअधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2020 में भी आयोग के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम – आवश्यकतानुरूप अभिवृद्दि हो सके।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1	श्री एस.पी. शुक्ला निदेशक (टैरिफ)	ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स– रेग्यूलेटरी गर्वनेंस	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	तीन माह, (17 अक्टूबर 2020 से)
2.	श्री विवेक गनोदवाले वरिष्ठ विधि अधिकारी	ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स– रेग्यूलेटरी गर्वनेंस	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	तीन माह, (17 अक्टूबर 2020 से)
3.	श्री सुरोबिन राय वित्तीय विश्लेषक	ऑनलाईन केपेसिटी बिल्डिंग प्रोगाम	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	2 सप्ताह (7 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2020 तक)
4.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे सहायक निदेशक (इंजी.)	ऑनलाईन केपेसिटी बिल्डिंग प्रोगाम	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	2 सप्ताह (7 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2020 तक)

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 आयोग के कृत्य –

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) में आयोग के कृत्य निम्नानुसार परिभाषित है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतो से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।

(vi) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच के परस्पर विवादों का निराकरण करना और किसी विवाद को माध्यस्थ्म के लिये निर्दिष्ट करना।

(vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।

(viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अंतर्गत, आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। विद्युत अधिनियम, 2003 में आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के लिए विनियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदानुसार आयोग द्वारा बनाये गये ''कार्य संचालन विनियम 2009'' में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप से परिभाषित है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।

- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 95 के अनुसार आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

———00000———

खण्ड–4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। तदानुसार गठित राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श देती है:–

(1) मुख्य नीतिगत विषयों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के पालन में वर्तमान में कार्यरत् 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति में राज्य शासन सहित वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के 15 प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं।

आयोग के अध्यक्ष उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष है और आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकः–

राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16/03/2020 को संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर एवं स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतिम ट्रूअप एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनंतिम ट्रूअप एवं विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत दर निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर चर्चा हुई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार प्राप्त किए गए।

–––000–––

खण्ड–5

वर्ष 2020 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का प्रकाशन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को सुसंगत विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(3) के अनुपालन में विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित कर संबंधित पक्षकारों से सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित करना आवश्यक है। तदानुसार प्राप्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरान्त आयोग द्वारा विनियम अधिसूचित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार आयोग, अपने स्थापना वर्ष 2004 से निरंतर विनियम के प्रकाशन की कार्रवाई कर रहा है। दिनाँक 31.12.2020 की स्थिति में प्रचलित/प्रभावशील विनियमों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) वर्ष 2020 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008

9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
13.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कॅन्डिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकॉर्डिंग टू मल्टी–ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियमाक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन–विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम, 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2018	06.04.2018
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
24.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012
25.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013
26.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	21.03.2016

27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012	06.10.2012
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
31.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
32.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016	16.06.2017
33.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	09.09.2015
34.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम 2016	16.06.2017
35.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016	01.09.2016
36.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016	16.06.2017
37.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016	27.06.2016
38.	CSERC (Intra-state Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016	07.11.2016
39.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2016	01.12.2016
40.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019	05.10.2019
41.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.	30.12.2019

(2) वर्ष 2020 में अधिसूचित विनियमः—

क्र.	विनियम / संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	09.01.2020
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020	27.05.2020
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	14.07.2020
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	24.07.2020
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020	06.11.2020

5.2 आयोग द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचित विनियमों में किये गये मुख्य प्रावधानः—

1. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों के निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विनियमों में निम्नखित प्रावधान किए गएः—

   अ. ग्रिड से संयोजन के लिए छतोपरी सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीव्ही) की न्यूनतम सीमा 1 कि.वा.,

   ब. छतोपरी सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापना हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूर्णतः वेब आधारित किया गया,

   स. विकेन्द्रिकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के स्थापना में होने वाली कठिनाईयों के समाधान हेतु डीआरई सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया,

   द. ओपन एक्सेस की सीमा को 1 मेगा वाट से घटाकर 500 किलो वाट किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 के अन्तर्गत विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये जाने वाले किसी देयक के भुगतान से संबंधित हो तो वह तब तक सुनवाई हेतु स्वीकार नही किया जाता था जब तक कि अभ्यावेदन देने वाला व्यक्ति फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार देय राशि का कम से कम एक तिहाई अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान न कर दे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण में वित्तीय संकट का सामना करना पडता था इस कमी को दूर करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

को दिनांक 24.07.2020 को अधिसूचित किया गया। उक्त संशोधन के अधीन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के विरूद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील/अभ्यावेदन निशुल्क प्रस्तुत करने की व्यवस्था लागू हो गई है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020

विद्युत अधिनियम, 2003 में उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त तथा बिना कटौती के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी पूर्ति हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग को गुणवत्ता का मापदण्ड निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2006 में नियम लागू किया गया था लेकिन उसमें कटौती रहित विद्युत प्रदाय के लिए मापदण्ड तथा उसका पालन नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का प्रावधान शामिल नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए पुराने नियम के स्थान पर आयोग द्वारा मई, 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया है। नये नियमों के अधीन विद्युत प्रदाय कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बंद होने की मासिक अधिकतम समयावधि तथा प्रत्येक बार विद्युत प्रदाय बंद होने की अधिकतम समय–सीमा निर्धारित किया गया है। इसके साथ–साथ इन मापदण्डों के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है। आयोग द्वारा पहली बार उपरोक्त नियम के अनुसार प्रत्येक विद्युत वितरण लाइसेंसी को गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय हेतु निर्धारित सूचकांक का पालन सुनिश्चित करना होगा। विद्युत सेवाओं के लिए गुणवत्ता के मापदण्डों तथा इन मापदण्डों के पालन न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति संक्षेप में परिशिष्ठ–2 में दर्शित हैं।

5.3 वर्ष 2020 में आयोग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

1. आयोग द्वारा स्वप्रेरित योचिका क्र. 01/2020 में सुनवाई उपरान्त आदेश जारी कर राज्य में स्थापित होने वाले निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र जिनका राज्य में विद्युत वितरण लाईसेन्सी के साथ दीर्घ कालिक अवधि के लिए विद्युत क्रय अनुबंध है, हेतु जनेरिक टैरिफ निर्धारित किया गया :–

   अ. 25 मेगा वाट तक के लघु पनबिजली संयंत्र,

   ब. 2 मेगा वाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र,

   स. बायोमास आधारित, विद्युत संयंत्रो का ऊर्जा प्रभार।

2. आयोग द्वारा स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 14/2020 में सुनवाई उपरांत पारित आदेश जारी कर अटल ज्योति योजना के तहत सिंचाई पम्पों के लाईन से विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहे ऐसे कृषक परिवार जो खेतों में निवासरत् हैं को 24 x 7 निर्बाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये अलग से फीडर की

स्थापना के लिए राशि रूपये 24.26 करोड़ के लागत व्यय पर केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान स्वीकृत किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2017–18 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय लेखों का ट्रू–अप तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु प्रस्तुत टैरिफ याचिका पर टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित संगत रेगुलेशन के अधीन उक्त याचिका पर सनुवाई/विचारोपरांत उपभोक्ता द्वारा खपत की गई बिजली की बिलिंग के लिए रिटेल टैरिफ का निर्धारण।

4. आयोग द्वारा स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 40/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2020 द्वारा राज्य की विद्युत वितरण लायसेन्सी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. को पॉवर सप्लाई करने वाले विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान किए जाने वाले देयक में होने वाली देरी के कारण लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज की दर को कोविड–19 के कारण उत्पन्न होने वाले कठिनाईयों के कारण कम किया। इसी आदेश में आयोग द्वारा लेट पेमेन्ट सरचार्ज की दरों में कमी करने के कारण ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को होने वाली नगदी की समस्या से निजात दिलाने हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्ति हेतु वर्किंग केपीटल पर लगने वाले ब्याज हेतु प्रावधान किया गया।

5. कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थियों को संज्ञान में लेते हुए आयोग द्वारा स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 47/2020 दर्ज कर सुनवाई उपरांत पारित आदेश दिनांक 06.05.2020 में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल भुगतान में विलम्ब देय लेट पेमेन्ट सरचार्ज की दर को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 की कालावधि में 1.5 प्रतिशत से कम करते हुए 1 प्रतिशत किया गया है।

6. आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 10/2020 पर सुनवाई उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड. एवं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य 400 मेगावॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट से विद्युत के क्रय हेतु निष्पादित समझौते को अनुमोदित करने हेतु आदेश दिनांक 24.04.2020 पारित किया गया ।

5.4 वर्ष 2020–21 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए जारी टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु :–

- वर्ष 2019.20 के टैरिफ आदेश में अधिसूचित दरों को स्वास्थ्य सेवाओं एवं राईस मिलों को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए यथावत रखा गया।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।
- राईस मिलों को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।

- निम्नदाब एवं उच्चदाब पर विद्युत लेने वाले उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्जेस में राहत देने के उद्देश्य से निर्धारित फिक्सड चार्जेस के भुगतान में 3 माह की मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान की गई।

5.5 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष अर्थात 2020 के दौरान आयोग ने कुल 93 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर पंजीकृत 26 मामले सम्मिलित हैं। विचाराधीन वर्ष में विभिन्न पक्षकारों के कुल 67 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुये। उक्त प्रकरणों में से 27 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में किया गया। 01.01.2020 को पूर्व वर्षों के 69 प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 26 प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2020 में किया गया। दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में विगत वर्षों की लंबित याचिकाओं, विचाराधीन वर्ष 2020 में पंजीकृत नवीन याचिकाओं तथा निराकृत याचिकाओं की स्थिति नीचे तालिका में प्रस्तुत है।

याचिकाओं का निराकरण				
दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में विचाराधीन याचिकायें	**वर्ष 2020 में पंजीकृत नये प्रकरण सहित विचाराधीन कुल प्रकरण**	**विचाराधीन वर्ष में सुनवाई हेतु कुल प्रकरण**	**वर्ष 2020 में निराकृत कुल प्रकरण**	**दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में विचाराधीन**
69	93	162	53	109

5.6 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापनाः—

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य में, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित है, वर्ष 2020 में उपभोक्ता शिकायतों के 51 प्रकरण रायपुर, 69 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 9 प्रकरण जगदलपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 49 प्रकरण रायपुर, 69 प्रकरण बिलासपुर एवं 12 प्रकरण जगदलपुर फोरम में निराकृत किये गये, जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परन्तु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिदंल औद्योगिक पार्क में कार्यरत् वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा एक—एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुपालन में आयोग द्वारा विद्युत लोकपाल को नियुक्त किया गया है। फोरम के आदेश से असंतुष्ट विद्युत उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। वर्ष 2020 में विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या 17 है। विद्युत लोकपाल द्वारा वर्ष 2020 में कुल 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें पूर्व के वर्षों में पंजीकृत प्रकरण भी सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2021 की स्थिति में केवल 10 प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है।

5.7 विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयासः–

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 27.05.2020 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया है। इस विनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान संक्षेप में परिशिष्ठ–2 में दर्शित हैं।

5.8 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्थिति–

1	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	**01**
2	वर्ष 2020 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	**28**
	योग	**29**
3	स्वीकृत एवं निराकृत आवेदनों की संख्या	**28**
4	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	**00**
5	निर्णय हेतु विचाराधीन	**01**

परिशिष्ट–1

स.क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स
	आयोग सचिवालय		
1.	सचिव	1	लेवल–17
2.	उप सचिव	1	लेवल–14
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	लेवल–13
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	लेवल–12
5.	अनुभाग अधिकारी	1	लेवल–10
	तकनीकी विभाग		
6.	निदेशक	1	लेवल–17
7.	संयुक्त निदेशक	1	लेवल–14
8.	उप निदेशक	2	लेवल–13
9.	सहायक संचालक	2	लेवल–12
	टैरिफ विभाग		
10.	निदेशक	1	लेवल–17
11.	संयुक्त निदेशक	1	लेवल–14
12.	उप निदेशक	1	लेवल–13
13.	सहायक संचालक	1	लेवल–12
	वित्त विभाग		
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	लेवल–15
15.	वित्तीय विश्लेषक	1	लेवल–14
	विधि विभाग		
16.	निदेशक	1	लेवल–17
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	लेवल–14
18.	विधि अधिकारी	1	लेवल–13
	प्रशासकीय विभाग		
19.	लेखाधिकारी	1	लेवल–12
20.	निज सचिव	2	लेवल–10
21.	निज सहायक	6	लेवल–9
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	लेवल–9
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	लेवल–8
24.	स्टेनोग्रफर	5	लेवल–7
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	लेवल–6
26.	सहायक ग्रेड–2	4	लेवल–6
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	लेवल–4
28.	सहायक ग्रेड–3	5	लेवल–4
29.	वाहन चालक	4	लेवल–4
30.	भृत्य	11	लेवल–1
31	माली	1	लेवल–1
	योग	**68**	

परिशिष्ट–2

बिजली उपभोक्ता अपने अधिकार पहचाने

छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020

- प्रत्येक उपभोक्ता निरंतर/निर्बाध एवं क्वालिटी बिजली पाने के हकदार हैं। इसे सुनिश्चित करने, मापदंड निर्धारित करने एवं वितरण कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने नियम बनाये है।
- विस्तृत नियम आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in अथवा वितरण कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर देखे जा सकतें है।
- इन नियमों में वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे नये कनेक्शन, बिल संबंधी शिकायत, मीटर/लाईन/ट्रांसफार्मर में खराबी, सप्लाई की बहाली आदि के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है।
- समस्याओं के निराकरण में विलंब अथवा मापदंडों के पालन न होने पर नियमानुसार उपभोक्ता प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का हकदार है।
- उपभोक्ताओं को मुआवजे का दावा संबंधित वितरण केंद्र में करना होगा।
- मुआवजा न मिलने पर संबंधित क्षेत्र के विद्युत फोरम यथा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर में आवेदन कर सकता है।
- **फोरम के आदेश के विरूद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील निःशुल्क की जा सकती है।**

निर्धारित मापदंड

समय सीमा एवं जुर्माना एक नजर में

सेवा में रूकावट का विवरण	सुधार के लिए समय सीमा		उपभोक्ता को देय मुआवजा (रूपये में)
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
1. बिजली बंद की शिकायत	4 घंटा	24 घंटा	5/–प्रति घंटा
2. लाईन में मामूली खराबी	6 घंटा	12 घंटा	5/–प्रति घंटा
3. लाईन में बड़ी खराबी	24 घंटा	2 दिन	5/–प्रति घंटा
4. ट्रांसफार्मर में खराबी	24 घंटा	5 दिन	5/–प्रति घंटा
5. मीटर संबंधी 1. मीटर का जलना (एल.टी) i सप्लाई की बहाली	08 घंटा रायपुर शहर 12 घंटा – अन्य शहर	2 दिन	प्रथम 12 घंटे तक 5/– उसके बाद 10/–प्रति घंटा
ii मीटर का बदलना	7 दिन	7 दिन	10/–प्रति दिन
6. खराब/बंद मीटर i मीटर का निरीक्षण	4 दिन–रायपुर शहर 7 दिन अन्य शहर	12 दिन	10/–प्रति दिन
ii खराब मीटर का बदलना	आगामी बिल साईकिल के अंदर		10/–प्रति दिन

7. घरेलू कनेक्शनः– i जहां अतिरिक्त क्षमता न बढ़ाया जाना हो। ii जहां विद्यमान नेटवर्क से जारी किया जा सकता है।	7 दिन 15 दिन	15 दिन 30 दिन	50/–प्रतिदिन
8. भार में कमी	आगामी बिलिंग साईकिल से		100/–प्रतिदिन
9. विच्छेदित कनेक्शन का पुनः जोड़ा जाना (समस्त बकाया राशि भुगतान पश्चात्)	8 घंटे–रायपुर शहर 24 घंटे अन्य शहर	2 दिन	100/–प्रतिदिन
10. बिल संबंधी– i बिल नही देना	शिकायत दिनांक से 3 दिन		10/–प्रतिदिन
ii बिलिंग संबंधी शिकायत	7 दिन	15 दिन	10/–प्रतिदिन
11. मीटर रीडिंग	प्रति माह		प्रथम माह 100/– तत्पश्चात् प्रत्येक माह का 200/–
12. जमा राशि की वापसी	60 दिन		50/–प्रतिदिन
13. निरंतर/निर्बाध बिजली सप्लाई के विश्वसनीयता के सूचकांक			
(SAIFI) 1.किसी एक फीडर से प्रतिमाह बिजली की रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य रूकावट से अधिक संख्या पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	रायपुर शहर में– 15 व्यवधान प्रतिमाह अन्य नगरीय क्षेत्र में– 30 व्यवधान (प्रति उपभोक्ता)	35 व्यवधान प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	प्रत्येक रूकावट के लिए 60/–प्रति उपभोक्ता के मान से
(SAIDI) 2.एक फीडर से प्रति माह बिजली रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य अवधि से अधिक पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	रायपुर शहर में– 6 घंटे प्रति माह 15 घंटे प्रति माह (अन्य नगरीय क्षेत्र)	20 घंटे प्रति माह	प्रत्येक घंटे के व्यवधान हेतु 5/–प्रति उपभोक्ता के मान से